प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा

एवं माननीय श्री राधेश्याम शर्मा, न्यायाधीशगण

दांडिक अपील क्रमांक 479 / 1996

पवन कुमार उर्फ़ बबला एवं अन्य

विरुद्ध

(मध्य प्रदेश राज्य) छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय विचारार्थ

हस्ता/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/-

श्री आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश श्री राधेश्याम शर्मा

निर्णय हेतु नियत तिथि: 22/08/2012

हस्ता/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा

एवं माननीय श्री राधेश्याम शर्मा, न्यायाधीशगण

दांडिक अपील क्रमांक 479 / 1996

अपीलार्थीगण 1. पवन कुमार उर्फ़ बबला

पिता- श्री कृष्ण प्रसाद यादव उम्र लगभग 21 वर्ष

2.श्रीमती फिरन बाई पति श्री कृष्ण प्रसाद यादव

उम्र लगभग 40 वर्ष

दोनो निवासी:- मोहला, पुलिस थाना :- मोहला,

जिला :-राजनांदगॉव (म.प्र.) (अब छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>विरुद्ध</u>

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

द्वारा: पुलिस थाना मोहला, जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

<u>दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973</u>

<u>उपस्थिति:</u>

अपीलार्थीगण की ओर से श्री पी.के.सी. तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री राकेश ठाकुर

, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री जे.ए. लोहानी, पैनल अधिवक्ता ।

निर्णय

(दिनांक 22.08.2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **न्यायाधीश**

सुनील कुमार सिन्हा द्वारा उदघोषित किया गया

(1) यह अपील प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 103/95 में पारित निर्णय दिनांक 31 जनवरी, 1996 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। आक्षेपित निर्णय के द्वारा, अपीलार्थियों को निम्नानुसार दोषसिद्ध एवं दंडादिष्ट किया गया है, जिसमें सभी सजाएं साथ-साथ चलाये जाने का निर्देश दिया गया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोषसिद्धि	**दण्डादेश**
अपीलार्थी क्रमांक 1	
पवन कुमार उर्फ बाबला	
धारा 302 भा.दं.सं. के तहत	आजीवन कारावास
धारा 201 भा.दं.सं. के तहत	5 वर्ष का **सश्रम कारावास**
धारा 498-क भा.दं.सं. के तहत	2 वर्ष का **सश्रम कारावास**

अपीलार्थी क्रमांक 2	
श्रीमती फिरन बाई	
धारा 498-क भा.दं.सं. के तहत	2 वर्ष का **सश्रम कारावास**

(2) प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं:-

अपीलार्थी क्रमांक 1, पवन कुमार उर्फ बाबला, मृतक फुलेश्वरी बाई उर्फ गुड्डी का पति है, और अपीलार्थी क्रमांक 2, श्रीमती फिरन बाई, उसकी सास है। इस घटना से पूर्व दंपति के विवाह को लगभग डेढ़ वर्ष बीत चुके थे। दिनांक 14-15 अगस्त, 1994 की मध्य रात्रि को अपीलार्थी क्रमांक 1 और मृतक, अपीलार्थी क्रमांक 1 के माता-पिता के साथ उनके **संयुक्त निवास** वाले घर में अपने कमरे में सोए थे। अगली सुबह, दिनांक 15 अगस्त, 1994 को अपीलार्थी क्रमांक 1 ने अपने पिता कृष्णा प्रसाद यादव (बचाव साक्षी.-1) को सूचित किया कि मृतक दस्त और शरीर दर्द से बीमार है। कृष्णा प्रसाद यादव (बचाव साक्षी.-1) उनके कमरे में गए और पाया कि उनकी बहू की मृत्यु हो चुकी है। इसके पश्चात, उन्होंने सुबह लगभग 6:00 बजे मर्ग सूचना (प्रदर्श-पी/10-ए) दर्ज कराई। प्रधान आरक्षक पद्मनंद झा (अभि.साक्षी-10) ने उक्त मर्ग सूचना दर्ज की। **अन्वेषण अधिकारी** घटना स्थल पर पहुंचे, पंचों को नोटिस (प्रदर्श-पी/1) जारी किया, और शव का मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श-पी/2) तैयार किया। मृतक के शव को **परीक्षण** हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अंबागढ़ चौकी को प्रदर्श-पी/3-ए के माध्यम से भेजा गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शवपरीक्षण दो डॉक्टरों की एक टीम, डॉ. विजय ढोक (अभि. साक्षी -5) और डॉ. राजेश गुप्ता (अभि. साक्षी -11) द्वारा किया गया था। उन्होंने मृतक के शव पर निम्नलिखित लक्षण और चोटें पाईं:-

(i) शरीर ठंडा था; पेट फूला हुआ था; होंठ पर **निलांगू** था और जीभ दांतों के बीच दबी हुई थी;

(ii) थायराइड उपास्थि के नीचे 12 इंच **x ½** सेमी का **राध्य निशान(लिंगेचर मार्क)** , जो क्षैतिज रूप से स्थित था और गर्दन को पूरी तरह घेरे हुए था। निशान के नीचे रगड़ मौजूद थे जिनमें **रक्त संचय** और रक्त के थक्के थे। ऊतकों पर **फटे घाव** थे;

(iii) नथुनों और मुँह से झाग और रक्त जैसे धब्बे निकल रहे थे;

(iv) चेहरा में रक्त स्राव और सूजा हुआ था;

(v) स्वरयंत्र और श्वास नली पर 1½ सेमी **x** 1½ सेमी का फटा घाव था: श्वास नली के ऊतकों के श्लेष्म पर झाग और रक्त मौजूद था;

(vi) दोनों स्तनों के ऊपरी हिस्से पर 15 इंच **x** 5 इंच का निलागू था जिसमें **त्वचा के नीचे रक्तस्राव** था; एवं

(vii) बाएं गाल पर **½** सेमी **x** 1½ सेमी की खरोंच थी।

उनका अभिमत था कि गर्दन की चोट नायलॉन की रस्सी, या कपड़े से बने नाड़े, या किसी कपड़े से कारित हो सकती थी। अन्य चोटें कठोर और खुरदरी वस्तुओं से लग सकती थीं। चोटें **मृत्यु-पूर्व** की थीं, और मृत्यु का कारण **गला घोंटने के कारण श्वासावरोध** था। शवपरीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श-पी/3 है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अग्रिम **अन्वेषण** में, घटना स्थल का नक्शा प्रदर्श-पी/4 तैयार किया गया। हल्का पटवारी द्वारा एक अन्य घटना नजरी नक्शा प्रदर्श-पी/7 तैयार किया गया। अपीलार्थी क्रमांक 1 को अभिरक्षा में लिया गया और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसका **प्रकटीकरण** (प्रदर्श-पी/6) अभिलिखित किया गया तथा उसकी निशानदेही पर जब्ती पत्रक प्रदर्श-पी/5 के माध्यम से एक पटसन की रस्सी जब्त की गई।

मर्ग जांच पूरी होने के बाद, दिनांक 18.8.94 को अपीलार्थी क्रमांक 1 के विरुद्ध नियमित **प्रथम सूचना प्रतिवेदन** (प्रदर्श-पी/12) दर्ज की गई। रस्सी (प्रदर्श -अ) को रासायनिक परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर भेजा गया (प्रदर्श-पी/14), जहाँ से प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/15) प्राप्त हुई। एफ.एस.एल. प्रतिवेदन के अनुसार, रस्सी (वस्तु -ए) पर रक्त के धब्बे और त्वचा के अंश पाए गए। हालांकि उक्त लेख को **सीरम विज्ञानी** परीक्षण के लिए भी भेजा गया था, लेकिन सीरम विज्ञानी की रिपोर्ट दाखिल नहीं की जा सकी। काशीराम (पी.डब्ल्यू.-1 - मृतक के पिता), तरविना बाई (अ.सा-2) के कथन **धारा 161 दं.प्र.सं.** के तहत दर्ज किए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृतक की माता और मृतक के भाई भुवनेश्वर (अभि.साक्षी-3) के कथन दिनांक 28.8.94 को दर्ज किए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मृतक उन्हें बताया करती थी कि अपीलार्थीगण उसके साथ क्रूरता का व्यवहार कर रहे थे। तदनुसार, अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 498-क और 304-ख के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। हालांकि, अपीलार्थी क्रमांक 1 (पति) पर धारा 302, 201 और 498-क के तहत और अपीलार्थी क्रमांक 2 (सास) पर धारा 498-क के तहत आरोप विरचित किया गया था।

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए अपीलार्थीगण को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया।

(4) अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.के.सी. तिवारी ने तर्क दिया है कि: घटना का कोई **चक्षुदर्शी साक्षी** नहीं था और अभियोजन का मामला पूर्णतः **परिस्थितिजन्य साक्ष्य** पर आधारित था। यह प्रकरण **आत्महत्या हेतु फांसी लगाने** का था और **मानव-वध** से संबंधित निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण था।यह प्रमाणित करने के लिए कोई **विधिक साक्ष्य** उपलब्ध नहीं था कि अपीलार्थीगण मृतक के साथ क्रूरता का व्यवहार कर रहे थे। अतः, अपीलार्थीगण **दोषमुक्ति** के अधिकारी थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता, श्री जे.ए. लोहानी ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(6) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना और सत्र मामले के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(7) सर्वप्रथम, हम **मानव-वध** से संबंधित निष्कर्ष पर विचार करेंगे।

(8) सत्र न्यायाधीश का उपरोक्त निष्कर्ष मुख्य रूप से **चिकित्सीय साक्ष्य** पर आधारित है। मृतक **अपीलार्थी क्रमांक 1** के कमरे में मृत पाई गई थी। **मृत्यु समीक्षा** तैयार किया गया और शव को **परीक्षण** के लिए भेजा गया।मृतक के शव का परीक्षण करने वाले दोनों डॉक्टरों ने शव पर पाई गई बाहरी चोटों का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया था। हमने मृतक के शरीर पर पाई गई चोटों का उल्लेख पहले ही कर दिया है। श्री तिवारी ने यह तर्क दिया है कि उपरोक्त सभी चोटें और लक्षण फांसी लगाकर आत्महत्या करने के प्रकरण में भी पाए जा सकते हैं।

हमने शवपरीक्षण प्रतिवेदन और दोनों डॉक्टरों के साक्ष्यों पर सावधानीपूर्वक विचार किया और हम तिवारी के उपरोक्त तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। फांसी और गला घोंटने के बीच के अंतर पर **'मोदीज मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी' (24वां संस्करण 2011) के अध्याय 19 के पृष्ठ संख्या 455 और 456** में चर्चा की गई है। हम इस संबंध में लेखक द्वारा तैयार की गई तालिका को उद्धृत करना चाहेंगे:—

क्रमांक	**फांसी**	**गला घोंटना**
1	मुख्य रूप से **आत्महत्या** प्रकृति की होती है।	मुख्य रूप से **मानववध** प्रकृति का होता है।
2	**चेहरा:** सामान्यतः पीला होता है और पेटेकिया (रक्तबिंदु) दुर्लभ होते हैं।	**चेहरा:** रक्तस्राव के कारण सूजा हुआ, नीला और पेटेकिया के निशान स्पष्ट होते हैं।
3	**लार:** मुंह से निकलकर ठुड्डी और छाती की ओर टपकती है।	**लार:** इस प्रकार का टपकना नहीं पाया जाता है।
4	**गर्दन:** ताजे शवों में गर्दन खिंची हुई और लंबी हो जाती है।	**गर्दन:** ऐसी स्थिति नहीं पाई जाती।
5	**दम घुटने** के बाहरी लक्षण सामान्यतः बहुत स्पष्ट नहीं होते।	**दम घुटने** के बाहरी लक्षण बहुत स्पष्ट होते हैं (यदि मृत्यु वासोवेगल या कैरोटिड साइनस प्रभाव से हुई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्रमांक	फांसी	गला घोंटना
		हो तो न्यूनतम)।
6	**बंधक चिह्न:** तिरछा, खंडित), जो गर्दन के ऊपरी हिस्से में ठुड्डी और स्वरयंत्र के बीच स्थित होता है। खांचे का आधार सख्त, पीला और चर्मपत्र) जैसा होता है।	**बंधक चिह्न:** क्षैतिज या अनुप्रस्थ, निरंतर, जो पूरी गर्दन के निचले हिस्से में थायराइड के नीचे स्थित होता है। खांचे का आधार नरम और लालिमा युक्त होता है।
7	बंधक चिह्न के किनारों के आसपास **खरोंच** और **नीलगू** दुर्लभ होते हैं।	बंधक चिह्न के किनारों पर खरोंच और नीलगू के निशान सामान्यतः पाए जाते हैं।
8	चिह्न के नीचे के **उपत्वचीय ऊतक** सफेद, सख्त और चमकदार होते हैं।	उपत्वचीय ऊतक आमतौर पर रक्ताधिक्य और नरम होते हैं।
9	गर्दन की मांसपेशियों में चोट लगना **दुर्लभ** है।	गर्दन की मांसपेशियों में चोट या विदर/फटना सामान्य बात है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्रमांक	फांसी	गला घोंटना
10	**कैरोटिड धमनियां :** लंबी गिरावट वाले हिंसक मामलों में आंतरिक परतें फट सकती हैं।	कैरोटिड धमनियों की आंतरिक परतों का फटना अत्यंत दुर्लभ है।
11	**स्वरयंत्र और श्वासनली का फ्रैक्चर:** बहुत दुर्लभ है, और यदि पाया भी जाए तो वह न्यायिक फांसी में होता है।	स्वरयंत्र, थायराइड उपास्थि और विशेष रूप से **हायोइड हड्डी** का फ्रैक्चर सामान्य है।
12	**कशेरुका का फ्रैक्चर-विस्थापन:** न्यायिक फांसी में सामान्य रूप से पाया जाता है।	गला घोंटने के मामलों में गर्दन की हड्डियों का विस्थापन नहीं होता।
13	चेहरे, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर खरोंचें या नील के निशान: **सामान्यतः अनुपस्थित** होते हैं।	संघर्ष के कारण खरोंचें, नाखून के निशान और चोटें अक्सर मौजूद होती हैं।
14	**यौन हमले** का कोई साक्ष्य नहीं मिलता।	अक्सर यौन हमले का साक्ष्य या संघर्ष के निशान मिल सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्रमांक	**फांसी**	**गला घोंटना**
15	फेफड़ों की सतह पर **वातस्फीति पुटिकाएं** मौजूद नहीं होती हैं।	फेफड़ों की सतह पर वातस्फीति पुटिकाएं अक्सर मौजूद होती हैं।

उपरोक्त प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर, हम पाते हैं कि यदि मामला **गला घोंटने** का है, तो यह मुख्य रूप से **मानववध** प्रकृति का होता है और इसमें **दम घुटने** के बाहरी लक्षण अत्यंत स्पष्ट होते हैं।**बंधक चिह्न** के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि गला घोंटने के मामले में, यह **क्षैतिज** या **अनुप्रस्थ** होता है और गर्दन के निचले हिस्से में **थायराइड** के नीचे पूरी गर्दन पर **निरंतर** बना होता है; जबकि **फांसी** के मामले में, बंधक चिह्न **तिरछा** और **खंडित** होता है, जिसमें कुछ अन्य विशिष्ट लक्षण भी पाए जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त महत्वपूर्ण लक्षणों के अतिरिक्त, **गला घोंटने** की स्थिति में गर्दन की मांसपेशियों में चोट लगना अत्यंत सामान्य है, जबकि **फांसी** के मामले में यह दुर्लभ होता है। **प्रस्तुत प्रकरण** में, हम पाते हैं कि अभियुक्त के मृत शरीर पर गला घोंटने के अधिकांश लक्षण उपस्थित थे और इसके विपरीत, फांसी के लक्षणों का अभाव था।प्रस्तुत प्रकरण में, बंधक चिह्न अनुप्रस्थ था और थायराइड के ठीक नीचे निरंतर बना हुआ था तथा ऊतक रक्तसंकुलित पाए गए थे। यदि यह प्रकरण फांसी का होता, तो बंधक चिह्न तिरछा होता, क्योंकि फांसी की स्थिति में शरीर का संपूर्ण भार बंधक पर होता है जिससे उसका एक पाश बन जाता है; और बंधक का वह हिस्सा जो गर्दन के ऊतकों के संपर्क में आता है, वह अपना निशान छोड़ देता है, जबकि

गांठ के नीचे आने वाले हिस्से में, जहाँ पाश बनता है, कोई निशान नहीं होता क्योंकि वहां बंधक ऊतकों के संपर्क में नहीं आता है।

प्रस्तुत प्रकरण में ये सभी लक्षण विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त, शव-परीक्षण करने वाले शल्य चिकित्सकों ने अन्य बाहरी चोटें भी पाई थीं, जो सामान्यतः फांसी के मामले में नहीं होतीं। शव-परीक्षण करने वाले चिकित्सकों ने (अभियोजन साक्षी संख्या-11) से विस्तृत प्रतिपरीक्षण की गई है और उन्होंने बचाव पक्ष के उस सुझाव को खारिज कर दिया कि यह आत्महत्या हेतु फांसी का प्रकरण था। उन्होंने प्रतिपरीक्षण में पूछे गए प्रश्नों का तर्कसंगत उत्तर दिया है और अंततः उनके द्वारा आत्मघाती मृत्यु की संभावना को पूरी तरह से नकार दिया गया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने चिकित्सा साक्ष्य के साथ-साथ अन्य परिस्थितियों पर भी विचार किया है और यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि यह एक मानववध थी और मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण हुआ श्वासावरोध था। अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात, हमें विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं मिली है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) अब हम अन्य परिस्थितियों पर विचार करेंगे।

(10) सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति यह है कि पति (अपीलार्थी क्रमांक 1) और पत्नी (मृतका) रात्रि में एक ही कमरे में सोए थे और पत्नी की मृत्यु 'मानववध 'थी, तथा रात्रि के समय पत्नी की इस मानववध मृत्यु के संबंध में पति द्वारा कोई भी स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

(11) त्र्यंबक मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2006 ए.आई.आर. (एस.सी.डब्ल्यू.) 5300 (ए.आई.आर एस.सी.डब्ल्यू 5300) के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि:-

"...यदि कोई अपराध किसी घर की निजता के भीतर और ऐसी परिस्थितियों में घटित होता है, जहाँ हमलावरों के पास अपनी नियत समय और परिस्थितियों में अपराध की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का पूरा अवसर हो, तो अभियोजन के लिए अभियुक्त के दोष को सिद्ध करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन होगा, यदि न्यायालय द्वारा पारिस्थितिक साक्ष्य के उन कठोर सिद्धांतों पर जोर दिया जाता है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। एक न्यायाधीश किसी आपराधिक विचारण की अध्यक्षता केवल यह देखने के लिए नहीं करता कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित न किया जाए। एक न्यायाधीश की अध्यक्षता यह सुनिश्चित करने के लिए भी होती है कि कोई दोषी व्यक्ति बच न निकले। जहाँ हत्या जैसा अपराध घर के भीतर गुप्त रूप से किया जाता है, वहाँ प्रकरण को स्थापित करने का प्रारंभिक भार निस्संदेह अभियोजन पर होगा, किंतु आरोप सिद्ध करने के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा उसी स्तर की नहीं हो सकती, जैसी कि पारिस्थितिक साक्ष्य के अन्य प्रकरणों में आवश्यक होती है। सबूत का यह भार तुलनात्मक रूप से हल्के स्वरूप का होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के आलोक में, घर के निवासियों पर यह तदनुरूपी भार होगा कि वे एक विश्वसनीय/ठोस स्पष्टीकरण दें कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपराध कैसे किया गया था। घर के निवासी केवल चुप रहकर और इस कल्पित आधार पर कोई स्पष्टीकरण न देकर नहीं बच सकते कि अपना प्रकरण स्थापित करने का पूरा भार केवल अभियोजन पर है और अभियुक्त का कोई स्पष्टीकरण देने का कोई कर्तव्य नहीं है। स्पष्टीकरण न देने या मिथ्या स्पष्टीकरण देने की स्थिति में, यह परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाएगा।"

(12) इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य बनाम काशी राम, 2006 ए.आई.आर. (एस.सी.डब्ल्यू.) 5768 (ए.आई.आर एस.सी डब्ल्यू 5768) के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि-:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत कोई निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका निर्धारण सिद्ध किए गए तथ्यों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यह अंततः साक्ष्य के मूल्यांकन का विषय है और इसलिए, प्रत्येक प्रकरण अपने स्वयं के तथ्यों पर आधारित होता है। चूंकि प्रत्यर्थी /अभियुक्त को अंतिम बार मृतका के साथ देखा गया था, इसलिए यह सिद्ध करने का भार उसी पर था कि उसके पश्चात क्या हुआ, क्योंकि वे तथ्य उसकी विशेष जानकारी में थे। चूंकि प्रत्यर्थी ऐसा करने में विफल रहा, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 द्वारा उस पर डाले गए भार का निर्वहन करने में विफल रहा। अतः, यह परिस्थिति उन

पारिस्थितिक साक्ष्यों की श्रृंखला में लुप्त कड़ी प्रदान करती है, जो उसके दोष को संदेह से परे सिद्ध करते हैं।

न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि:-

"...यह सिद्धांत सुस्थापित है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान अपने आप में सुस्पष्ट और सुसंगत रूप से यह निर्धारित करते हैं कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति की जानकारी में होता है, तो उस तथ्य को सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है। अतः, यदि किसी व्यक्ति को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया है, तो उसे यह स्पष्टीकरण देना होगा कि वह मृतक से कब और कैसे अलग हुआ। उसे ऐसा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए जो न्यायालय को संभावित और संतोषजनक प्रतीत हो। यदि वह ऐसा करता है, तो यह माना जाना चाहिए कि उसने अपने भार का निर्वहन कर दिया है। यदि वह अपनी विशेष जानकारी वाले तथ्यों के आधार पर स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है तो वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 द्वारा उस पर डाले गए भार का निर्वहन करने में विफल रहता है। पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में, यदि अभियुक्त अपने ऊपर डाले गए भार के निर्वहन में उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो यह स्वतः ही उसके विरुद्ध सिद्ध परिस्थितियों की श्रृंखला में एक 'अतिरिक्त कड़ी' प्रदान करता है। धारा 106 आपराधिक विचारण में 'सबूत के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भार' को स्थानांतरित नहीं करती है, जो कि सदैव अभियोजन पर ही होता है।" यह इस नियम को निर्धारित करता है कि जब अभियुक्त उन तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डालता है जो विशेष रूप से उसकी जानकारी में हैं और जो उसकी निर्दोषता के अनुकूल किसी भी सिद्धांत या परिकल्पना का समर्थन नहीं कर सकते, तो न्यायालय किसी भी स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करने में उसकी विफलता को एक 'अतिरिक्त कड़ी' के रूप में मान सकता है जो (पारिस्थितिक साक्ष्य की) श्रृंखला को पूर्ण करती है। इस सिद्धांत को नैना मोहम्मद के मामले (ए.आई.आर. 1960 मद्रास 218) में संक्षिप्त और सटीक रूप से प्रतिपादित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) जहाँ तक इस संबंध में साक्ष्य का प्रश्न है, इस तथ्य पर विवाद नहीं किया गया है कि घर में केवल चार व्यक्ति—अपीलार्थीगण, कृष्ण प्रसाद यादव (बचाव साक्षी.-1) और मृतका ही निवासी के रूप में मौजूद थे। साक्ष्य में यह तथ्य आया है कि अपीलार्थी क्रमांक 1 और मृतका अकेले ही अपीलार्थी के कमरे में सो रहे थे। कृष्ण प्रसाद यादव (बचाव साक्षी.-1) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि सुबह, जब वह शौच से वापस लौट रहा था, तब उसने देखा कि उसका पुत्र (अपीलार्थी क्रमांक 1) और पिल्ले बाबू (बचाव साक्षी.-4) तेजी से उसके घर की ओर जा रहे थे। पिल्ले शासकीय अस्पताल में कंपाउंडर था। वह (साक्षी) भी अपने घर के पास पहुँचा, जहाँ उसे कृष्णा राव (बचाव साक्षी.-2) और मधु मिले। जब उसने पूछा कि क्या हुआ है, तो कृष्णा राव (बचाव साक्षी.-2) ने बताया कि उसकी बहू (मृतका) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और उसे नीचे बिस्तर पर उतार दिया गया है। पिल्ले (बचाव साक्षी.-

4) ने उसे बताया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसके पश्चात वह शिकायत दर्ज कराने गया था।

वह मर्ग सूचना (प्रदर्श-पी/10-ए) के भाग 'बी' से ' बी ' पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करता है। हालांकि, उसने ऐसी शिकायत दर्ज कराने से इनकार किया और कहा कि उसने अपनी पुत्रवधू द्वारा फांसी लगाए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। पद्मनांद झा (अभि.साक्षी-10) वह पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने कृष्ण प्रसाद यादव (बचाव साक्षी.-1) के कहने पर मर्ग सूचना दर्ज की थी। उन्होंने मर्ग सूचना (प्रदर्श-पी/10-ए) को सिद्ध किया है और यह भी सिद्ध किया है कि उन्होंने मर्ग सूचना पर सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लिए थे। हम मर्ग सूचना की अंतर्वस्तु से पाते हैं कि यह कृष्ण प्रसाद यादव (बचाव साक्षी.-1) द्वारा दर्ज कराई गई थी कि उसके पुत्र ने उसे बताया कि मृतका दस्त से पीड़ित थी और वह बोल नहीं रही थी, जो बाद में मृत पाई गई। अतः, ससुर कृष्ण प्रसाद यादव (बचाव साक्षी.-1) द्वारा दर्ज कराई गई मर्ग सूचना में फांसी जैसी किसी बात का उल्लेख नहीं था, जो कि उसके पुत्र (अपीलार्थी क्रमांक 1) से उसे प्राप्त 'प्रथम दृष्टया सूचना' थी। यह दर्शाता है कि अपीलार्थी क्रमांक 1 ने सही जानकारी नहीं दी, बल्कि उसने उस कमरे में मृतका की मानववध मृत्यु के संबंध में कोई सही स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिसमें वह मृतका के साथ अकेला सो रहा था। वास्तव में, अपीलार्थी क्रमांक 1 साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 द्वारा उस पर डाले गए भार का निर्वहन करने में विफल रहा। मृतका की मानववध मृत्यु की ओर ले जाने वाले तथ्य विशेष रूप से अपीलार्थी क्रमांक 1 की जानकारी में थे। अतः, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी क्रमांक 1 ने अपनी पत्नी (मृतका) की मानववध मृत्यु के संबंध में मिथ्या स्पष्टीकरण दिया और विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इसे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी मानने में पूर्णतः न्यायोचित निर्णय लिया है।

(14) दूसरी परिस्थिति अपीलार्थी क्रमांक 1 की सूचना पर रस्सी की बरामदगी और जब्ती है। बरामदगी और जब्ती के दो साक्षी दुर्गेश शर्मा (अभि.साक्षी-12) और बिहारीलाल (अभि.साक्षी.-6) हैं। उन्होंने कथन किया है कि अपीलार्थी क्रमांक 1 ने, अभिरक्षा में रहते हुए, रस्सी के संबंध में बयान दिया था और फिर उसकी निशानदेही पर जब्ती पत्रक की प्रदर्श पी/5 के माध्यम से एक रस्सी जब्त की गई थी। बरामदगी और जब्ती के तथ्यों को विवेचना अधिकारी, जगदीश उइके (प्रदर्श पी /13) के साक्ष्य द्वारा भी सिद्ध किया गया है। प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी /6) के साथ-साथ रस्सी की जब्ती (प्रदर्श पी /5) पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर मौजूद हैं। उपरोक्त प्रतिपरीक्षण में ऐसी कोई भी तात्विक बात निकलकर नहीं आई है, जिसके आधार पर या तो उनके साक्ष्य को खारिज किया जा सके या यह कहा जा सके कि वे अपीलार्थी क्रमांक 1 की निशानदेही पर बरामदगी और जब्ती का मिथ्या आरोप लगाकर उसे झूठा फंसा रहे थे। एफ.एस.एल. प्रतिवेदन में, अपीलार्थी की निशानदेही पर जब्त की गई रस्सी पर रक्त के धब्बे और त्वचा के अंश भी पाए गए थे। रस्सी की बरामदगी और जब्ती तथा इसकी एफ.एस.एल. प्रतिवेदन प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों के प्रकाश में सहायक परिस्थितियाँ थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात, हम पाते हैं कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई परिस्थितियाँ पूरी तरह से स्थापित थीं। वे निर्णायक प्रकृति

और प्रवृत्ति की थीं और उनका कोई अन्य स्पष्टीकरण संभव नहीं था, तथा पारिस्थितिक साक्ष्यों की श्रृंखला भी पूर्ण थी। हमारा यह मत है कि उपरोक्त पारिस्थितिक साक्ष्यों के आलोक में, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी क्रमांक 1 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराने में पूर्णतः न्यायोचित निर्णय लिया है।

(15) अब हम भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के तहत दोषसिद्धि पर विचार करेंगे।

(16) यह मुख्य रूप से काशीराम (अभि.साक्षी-1), तरविना बाई (अभि.साक्षी.-2) और भुनेश्वर (अभि.साक्षी.-3) के साक्ष्य पर आधारित है। काशीराम (अभि.साक्षी.-1) मृतका के पिता हैं। उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब मृतका होली में उनके घर आई थी, तब उसने बताया था कि अपीलार्थी क्रमांक 1 द्वारा 10,000/- रुपये की मांग की जा रही थी और अपीलार्थी क्रमांक 2 भी दहेज की मांग कर रही थी तथा वे दहेज की मांग के कारण उसके साथ मारपीट किया करते थे। यहाँ तक कि वे उसे भोजन देने के संबंध में भी प्रताड़ित करते थे। उसने यह तथ्य अपनी माँ- तरविना बाई (अभि.साक्षी.-2), भाई- भुनेश्वर (अभि.साक्षी.-3) और भाभी को भी बताया था। तरविना बाई (अभि.साक्षी.-2) और भुनेश्वर (अभि.साक्षी.-3) ने भी काशीराम (अभि.साक्षी.-1) के साक्ष्य की संपुष्टि की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) उपरोक्त 3 साक्षियों का यह साक्ष्य, कि मृतका ने उन्हें बताया था कि अपीलार्थीगण द्वारा उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा था, साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 की सहायता से अभिलेख पर लिया गया है। साक्षियों को मृतका द्वारा क्रूरता के बारे में दिए गए बयान उसकी मृत्यु से काफी समय पहले के थे और वे मृतका की मृत्यु की ओर ले जाने वाली

परिस्थितियों के बारे में नहीं थे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के निबंधनों के अनुसार, किसी मृतक का कथन मृत्यु के कारण को सिद्ध करने के लिए या उस संव्यवहार की किसी भी परिस्थिति के रूप में स्वीकार्य हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो। वर्तमान प्रकरण में, चूंकि मृतका ने काफी समय पहले साक्षियों को जो बताया था वह उसकी मृत्यु के कारण से संबंधित नहीं था, इसलिए उसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत स्वीकृत नहीं माना जा सकता है। धारा 32 'अनुश्रुत साक्ष्य' के नियम का एक अपवाद है और यह किसी ऐसे व्यक्ति (जिसकी मृत्यु हो चुकी है) द्वारा अपनी मृत्यु या ऐसी मृत्यु की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों से संबंधित बयानों या घोषणाओं से संबंधित है। यदि कोई कथन अन्यथा अनुश्रुत नियम के अंतर्गत आता है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अपवाद के भीतर नहीं आता है, तो अभियुक्त के दोष को सिद्ध करने के लिए उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। हमारा यह अभिमत है कि मृतका द्वारा उपरोक्त तीनो साक्षियों को दिए गए बयानों का साक्ष्य, मृतका के साथ अभियुक्त व्यक्तियों की कथित क्रूरता के संबंध में निष्कर्ष देने के लिए स्वीकार्य नहीं था। अतः, यह माना जाना चाहिए कि अभियोजन यह संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है कि अपीलार्थीगण ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के तहत अपराध किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(18) पूर्वगामी कारणों के आधार पर, यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी क्रमांक 1- पवन कुमार उर्फ बबला को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दी गई दोषसिद्धि और दण्ड को यथावत कायम रखा जाता है। हालांकि, दोनों

अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के तहत दी गई दोषसिद्धि और दण्ड को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थीगण को धारा 498-क के तहत विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

हस्ताक्षर/- हस्ताक्षर/-

सुनील कुमार सिन्हा आर.एस.शर्मा

न्यायाधीश न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By- अजय कुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता